प्राचार्य का कार्यालयः श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0

ज्ञापांकः———————/ मुज0, दिनांकः———————/

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 19300, दिनांक 13.10.2023 के कम में स्वास्थ्य निदेशालय ज्ञापांक 1531(4) दिनांक 14.10.2023 एवं ज्ञापांक 1543(4) दिनांक 18.10.2023 के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 में निहित शर्त्तों के अधीन स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 08.12.2023 में लिये निर्णय व अनुशंसा के आलोक में प्राचार्य कार्यालय श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0 के नियमित स्थापना में कार्यरत निम्नलिखित कार्यालय परिचारी को आदेश निर्गमन की तिथि से तदर्थ एवं अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद निम्न वर्गीय लिपिक का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कमांक	नाम एवं वरीयता कमांक	आरक्षण कोटि	पूर्व का वेतन स्तर	प्रोन्नति पश्चात देय वेतन स्तर	नियुक्ति तिथि	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	सेवा सम्पुष्टि की तिथि	अभ्युक्ति
1	श्री संजय कुमार वरीयता कमांक–5	अति पिछडा वर्ग	पे लेवल–2	पे लेवल–2	15.05.2007	05.01.1981	इन्टरमीडिएट	22.08.2010	
2	श्री सीतेश कुमार वरीयता कमांक–6	अति पिछडा वर्ग	पे लेवल–2	पे लेवल–2	15.05.2007	10.10.1986	इन्टरमीडिएट	22.08.2010	

1. कार्यकारी व्यवस्था की यह प्रकिया माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या 4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य संबद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल में प्रभावित होने की शर्त्त पर औपबंधिक रूप से उपरोक्त कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान की जा रही है।
2. सभी प्रोन्नति निम्नवर्गीय लिपिक को आदेश दिया जाता है कि प्रोन्नत पद पर तत्काल अपने पदस्थापित कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे ।
3. पूर्व से एम.ए.सी.पी. के तहत जिन कर्मियों को लेवल–2 या इससे उच्चतर लेवल का वेतनमान प्राप्त हो रहा है उन्हें कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
4. नियमित प्रोन्नति की प्रकिया में अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत उच्चतर पद का प्रभार धारित लोक सेवक किसी कारणवश प्रोन्नति प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे उच्चतर पद से उसके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, यदपि उच्चतर पद के आधार पर प्राप्त की गयी वेतन भत्ते एवं सुविधाओं की वसूली उनसे नहीं की जायेगी।
5. योगदान के समय निम्नांकित कागजात के साथ योगदान देगें कमशः 1. चिकित्सीय प्रमाण पत्र 2. विवाह के समय तिलक दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र 3. सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र 4 सरकारी सेवा में निगरानी संबंधी मामले/न्यायालय संबधि तमामले/विभागीय कार्यवाही संबंध मामले नहीं रहने संबंधी स्वयं शपथ पत्र ।
6. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित बोर्ड से होने के उपरान्त ही वेतनादि का भुगतान होगा।
7. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 1060 (4) दिनांक 01.12.2014 में निहित प्रावधानों के अनुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता पश्चात निम्नवर्गीय लिपिक को द्वितीय वेतनवृद्धि देय होगी।

Abha Rani Sinha 12/12/23
प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांकः– 1592/23 12/12/23 मुज0, दिनांकः–
प्रतिलिपिः– निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।